

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 114/314/10/वित्त/नियम/चार

रायपुर, दिनांक 21.04.2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान उपलब्ध कराने बाबत।

- संदर्भ:-1.वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 97/107/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 28 अप्रैल, 08।
2.वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 08/सी-2802/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 15 जनवरी, 2009।
3.वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 231/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 10 अगस्त, 2009।
4.वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 233/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 10 अगस्त, 2009।
5. वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 01/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 02.01.2010 ।
6.वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 55/सी-29276/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 5 मार्च,2010
7.वित्त विभाग का ज्ञापन क्र.216/सी-2802/10/वित्त/नियम/चार दिनांक 4 अगस्त, 2010


छत्तीसगढ़ राज्य के सिविल सेवा के सदस्यों को आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से संदर्भित ज्ञापनों द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं ।

2/ विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन दिनांक 10.08.2009 के साथ संलग्न परिशिष्ट-2 की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सूची में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत लेब टेक्निशियन संवर्ग के लिए ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसानुसार 4500-7000 का वेतनमान उल्लिखित है । तदनुसार समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है । किन्तु एक अन्य संदर्भित ज्ञापन दिनांक 4.08.2010 में यह पद त्रुटिवश पुनः शामिल हो गया है । उक्त ज्ञापन दिनांक 04.08.2010 में से उक्त प्रविष्टि को विलोपित किया जाता है ।

3/ संदर्भित आदेश दिनांक 02.01.2010 के परिशिष्ट के कालम 8 के कतिपय प्रविष्टियों में ग्रेड वेतन 5400 का बेंड वेतन 15600-39100 के स्थान पर 9300-5400 दर्शाया गया है । अतः उक्त प्रविष्टियां संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधित की जाती है-

संलग्न-परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(एस.के. चक्रवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रोग्रामर, संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

विभागवार एवं संवर्गवार उच्चतर वेतनमानों की सूची

ifjfk'V

क्र.	विभाग का नाम	विभागाध्यक्ष	संवर्ग	वर्तमान वेतनमान(पांचवां)	वर्तमान वेतनमान	प्रथम उच्चतर वेतमान	द्वितीय उच्चतर वेतनमान
3	ग्रामोद्योग	संचालनालय रेशम प्रभाग	फील्ड ऑफिसर	5500-9000	9300-34800+4300	9300-34800+4400	15600-39100+5400
4	तकनीकी शिक्षा विभाग	संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण	सहायक प्रोग्रामर	5000-8000	9300-34800+4200	9300-34800+4400	15600-39100+5400
			कनिष्ठ रोजगार अधिकारी	5000-8000	9300-34800+4200	9300-34800+4400	15600-39100+5400
5	राजस्व	आयुक्त, भू-अभिलेख	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	5000-8000	9300-34800+4200	9300-34800+4400	15600-39100+5400

Vkarm